


28-9-18

पञ्जाब पेश डी। अधिनायक अपीलार्थी उपस्थित।  
 रेल्वे ७४-१ के अधिनायक उमरा रेल्वे ७४-२ व ३  
 की ओर के गतिशय पंचोली एडकोले के उपस्थित होकर  
 अधिनायक पत्र पेश किया जो शां पञ्जाबली किया  
 गया। अधिनायक अपीलार्थी द्वारा रेल्वे ७४-१  
 द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत पत्र पत्र का  
 अभाव प्रस्तुत किया प्रति अधिनायक रेल्वे ७४-१  
 को ही गरी। अधीनस्थ न्यायालय की पञ्जाबली  
 प्राप्त होकर खालंग है। पञ्जाबली एवं प्राथमिक पत्र  
 अखत शीघ्र सुनवाई का अपलोकर किया तथा  
 वरु अधिनायक उमरा पक्ष लाट सुनी गरी।

अपीलार्थी द्वारा अपील धारा १० A (१) राज. प्र. अधिनियम  
 अधिनियम १९५६ अन्तर्गत आदेश दि. २२/२०१७ न्यायालय  
 प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त गणतंत्रिय प्रथम  
 अदालत प्रकरण पुल्पाशर्मा पटनी दिनेश शर्मा  
 प्रकरण सं. गिल - वर्ष २०१६ अपीलार्थी अंतर्गत धारा  
 १० (क) राज. प्र. अधिनियम अधिनियम के दिनांक १२/०

२४/१०

पत्र - चारा 96 CPC के चारा 5 विवाद अधिन  
 के कार्य न्यायालय हाजि में पेश की गई जिन  
 पर वेल्सो की आपत्ति को सुरक्षित रखते हुए  
 अपील दर्ज रखि कए आदेश क्रमांक 9488  
 दि. 21/11 की क्रमान्विति के संबंध में श्राव केवपुरा  
 एंड वृद्धी के संवत् 1482/1371 की 6  
 बिल्व अर्थात् 1966-52 वर्ग की 2 प्रति के संबंध  
 में दिनांक 6-8-2018 की रिपोर्ट व फॉके की  
 स्थिति अभावत रखने का आदेश पारित पारित किया  
 गया। अपील प्रकरण का गुणवत्ता पर विचार  
 करने से पूर्व प्राठ पत्र - चारा 96 CPC पर क्रिमांक  
 उपर पक्षकार को भुगत गया। प्राठ पत्र - चारा 96 CPC  
 का अपलोडन कए व एम विज्ञान क्रिमांक पर भरण  
 किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त बर्तित  
 आदेश से अपीलकर्ता किसी भी प्रकार के व्यभिच  
 पक्षकार होता प्रकट नहीं होता है तथा ना ही  
 अपीलधीन आदेश अपीलार्थ के हितों के विपरीत है।  
 विधि क्रमानुसार न्यायिक हित के अपील पेश  
 करने का अपीलकर्ता वैधानिक अधिकारी नहीं है।  
 ऐसी स्थिति में प्राठ पत्र - चारा 96 CPC उक्त  
 विवेचन क्रमानुसार चैषण्यि नहीं होने के कारण  
 किया जाता है तथा न्यायिक अपील अपीलार्थ  
 क्रमानुसार की प्रकट रवायि की जाती है।  
 पत्रावली विषय क्रमानुसार होकर बाद न्यायिक  
 न्यायिक दायित्व प्रकट हो। अधीनस्थ न्यायाधीश पत्रा  
 आदेशिका की प्रारंभिक प्रति के कार्य अधीनस्थ  
 न्यायाधीशों को दिया।

  
 संपन्निय आयुक्त  
 कोटा संभाग, कोटा